न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 18/2025

भागीरथ उर्फ गुडिया पुत्र नानू राम जाति नायक निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादी

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा: वादी
राजपैरोकार : प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक : 15.09.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गांव अजीतपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2078 के खाता सं0 922/413 के खसरा संख्या 134 की 2.9090 है0 बारानी, खसरा संख्या 1617/743 की 0.8730 है0 बारानी, खसरा संख्या 1619/743 की 0.1760 है0 और खसरा संख्या 744/3 की 1.5430 है0 बारानी कुल खसरे 4 की 5.5010 है0 में वादी का 2941/22004 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादी का नाम गुडिया पुत्री नानू दर्ज है जो वादभूमि में वादी का नाम गलत दर्ज हो गया है जबकि वादी का सही नाम भागीरथ पुत्र नानूराम निवासी अजीतपुरा है। वादी के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, में वादी का नाम भागीरथ पुत्र नानूराम चला आ रहा है।

उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर वादी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। वादी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए वादी उपरोक्त वर्णित वादभूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम भागीरथ पुत्र नानूराम निवासी अजीतपुरा करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया।

पटवारी पटवार हल्का अजीतपुरा व तहसीलदार (राजस्व) भादरा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./25/532 दिनांक 20.06.2025 के मुताबिक नाम दुरूस्त किया जाना उचित है।

वादी ने अपना वाद साबित करने के लिए साक्ष्य में दस्तावेज पेश किये जो भागीरथ पुत्र नानूराम के नाम से ही है तथा सहखातेदार रोशनलाल पुत्र चन्द्रभान जाति कुम्हार साकिन अजीतपुरा, बनवारी पुत्र नानू जाति नायक साकिन अजीतपुरा के शपथ पत्र पेश किये।

साक्ष्य वादी में भागीरथ पुत्र नानूराम निवासी अजीतपुरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा अजीतपुरा जमाबन्दी सम्वत् 2074—77 के खाता सं0 922/413 प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरण रजिस्टर क्रमांक 66/55 पटवार मण्डल अजीतपुरा प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही मौजा अजीतपुरा संवत 2050—53 प्रदर्श 3, चित्रप्रति राशन कार्ड प्रदर्श 4ए, चित्रप्रति आधार कार्ड प्रदर्श 5ए, चित्रप्रति [illegible] 6ए, चित्रप्रति जनाधार कार्ड प्रदर्श 7ए चित्रप्रति ई श्रमकार्ड प्रदर्श 8ए, चित्रप्रति बैंक पास बुक 9ए, जमाबंदी रोही मौजा अजीतपुरा संवत 2073—77 खाता संख्या 922/413 पेश [illegible] प्रदर्शित किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.10.17 16:44:39 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात व शपथ पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद में वादी ने रोही मौजा गांव अजीतपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2078 के खाता सं0 922/413 के खसरा

सहायक कलक्टर
[illegible] भादरा

Scanned with CamScanner

संख्या 134 की 2.9090 है0 बारानी, खसरा संख्या 1617/743 की 0.8730 है0 बारानी, खसरा संख्या 1619/743 की 0.1760 है0 और खसरा संख्या 744/3 की 1.5430 है0 बारानी कुल खसरे 4 की 5.5010 है0 में वादी का 2941/22004 हिस्सा वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी का नाम गुडिया पुत्री नानू निवासी अजीतपुरा दर्ज है जबकि वादी का सही नाम भागीरथ पुत्र नानूराम निवासी अजीतपुरा है। इस प्रकार वादी अपना वाद साबित करने में सफल रहा। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अजीतपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2078 के खाता सं0 922/413 के खसरा संख्या 134 की 2.9090 है0 बारानी, खसरा संख्या 1617/743 की 0.8730 है0 बारानी, खसरा संख्या 1619/743 की 0.1760 है0 और खसरा संख्या 744/3 की 1.5430 है0 बारानी कुल खसरे 4 की 5.5010 है0 में वादी का 2941/22004 हिस्सा वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी का नाम गुडिया पुत्री नानू निवासी अजीतपुरा दर्ज है जबकि उक्त खाते की भूमि में वादी का सही नाम भागीरथ पुत्र नानूराम निवासी अजीतपुरा है। अतः रोही मोजा अजीतपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2078 के खाता सं0 922/413 के खसरा संख्या 134 की 2.9090 है0 बारानी, खसरा संख्या 1617/743 की 0.8730 है0 बारानी, खसरा संख्या 1619/743 की 0.1760 है0 और खसरा संख्या 744/3 की 1.5430 है0 बारानी कुल खसरे 4 की 5.5010 है0 में वादी का 2941/22004 हिस्सा गुडिया पुत्री नानू निवासी अजीतपुरा की जगह वादी का नाम भागीरथ पुत्र नानूराम निवासी अजीतपुरा किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच गुडिया पुत्री नानू निवासी अजीतपुरा के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में गुडिया पुत्री नानू निवासी अजीतपुरा के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए गुडिया पुत्री नानू निवासी अजीतपुरा नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि उड़सरिया) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.10.17 16:44:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 18/2025

भागीरथ उर्फ गुडिया पुत्र नानू राम जाति नायक निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादी

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचन्द वर्मा व प्रतिवादी राजपैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अजीतपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2078 के खाता सं0 922/413 के खसरा संख्या 134 की 2.9090 है0 बारानी, खसरा संख्या 1617/743 की 0.8730 है0 बारानी, खसरा संख्या 1619/743 की 0.1760 है0 और खसरा संख्या 744/3 की 1.5430 है0 बारानी कुल खसरे 4 की 5.5010 है0 में वादी का 2941/22004 हिस्सा वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी का नाम गुडिया पुत्री नानू निवासी अजीतपुरा दर्ज है जबकि उक्त खाते की भूमि में वादी का सही नाम भागीरथ पुत्र नानूराम निवासी अजीतपुरा है। अतः रोही मोजा अजीतपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2078 के खाता सं0 922/413 के खसरा संख्या 134 की 2.9090 है0 बारानी, खसरा संख्या 1617/743 की 0.8730 है0 बारानी, खसरा संख्या 1619/743 की 0.1760 है0 और खसरा संख्या 744/3 की 1.5430 है0 बारानी कुल खसरे 4 की 5.5010 है0 में वादी का 2941/22004 हिस्सा गुडिया पुत्री नानू निवासी अजीतपुरा की जगह वादी का नाम भागीरथ पुत्र नानूराम निवासी अजीतपुरा किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच गुडिया पुत्री नानू निवासी अजीतपुरा के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में गुडिया पुत्री नानू निवासी अजीतपुरा के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए गुडिया पुत्री नानू निवासी अजीतपुरा नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.10.17 16:44:39 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamSca